

आवेदन पत्र का प्रारूप

1. आवेदक का नाम
2. पिता का नाम
3. जन्मतिथि
4. विभाग का नाम
5. मूल विभाग में धारित पद
6. वेतनमान
7. शैक्षणिक अर्हता
8. पत्र व्यवहार का पता
9. गोपनीय प्रतिवेदन पत्रक विगत 05 वर्षों तक संलग्न करें
10. मूल विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न करें
11. विभागीय जांच / अपराधिक प्रकरण नहीं होने का प्रमाण पत्र संलग्न करें।

मैं शपथपूर्वक कहता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी पूर्णतः सत्य है। किसी भी जानकारी के असत्य पाए जाने पर मेरी प्रतिनियुक्ति स्वतः ही निरस्त मानी जावे।
दिनांक

भवदीय

(आवेदक)

प्रतिनियुक्ति हेतु इच्छुक आवेदकों के लिए सेवा शर्तें

1. आवेदित अधिकारी/कर्मचारी को विगत 05 वर्षों के गोपनीय प्रतिवेदनों का मूल्यांकन पत्रक प्रस्तुत करना होगा।
2. आवेदित अधिकारी/कर्मचारी मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो।
3. आवेदक के विरुद्ध कोई विभागीय जांच/आपराधिक प्रकरण/अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रचलन में नहीं होना चाहिए।
4. आवेदक को मूल विभाग का सहमति पत्र प्रस्तुत करना होगा।
5. चयन उपरान्त वयनित लोक सेवक की सेवाएं विभागन्तर्गत प्रतिनियुक्ति पर 02 वर्ष तक के लिए रहेंगी।
6. दोनों विभागों की सहमति उपरान्त आदेश जारी किए जाने पर मूल विभाग द्वारा लोक सेवक को कार्यमुक्त किए जाने की कार्यवाही की जाएगी।
7. आवेदक को प्रतिनियुक्ति भत्ता देय नहीं होगा।
8. प्रतिनियुक्ति की अवधि के भीतर प्रतिनियुक्ति समाप्त की जागी तो दोनों विभाग के आपसी परामर्श से प्रतिनियुक्ति समाप्त की जा सकेगी, परन्तु प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत कर्मचारी/अधिकारी का कार्य संतोषजनक नहीं होने पर समय से पूर्व कारणों का उल्लेख करते हुए सेवाएं मूल विभाग को सौंप दी जाएगी।
9. न्यूनतम अर्हताएं, वेतन एवं आयु सीमा मूल विभाग के अनुरूप ही रहेंगी।

गण्डयप्रदेश शासक
सामान्य प्रशासन विभाग
नवाबपथ, बल्लभ धवन, गण्डय

क्रमांक सी०/३ 14/26/3/एक,
प्रति,

भापाल, दिनांक 29 फरवरी 2008

शासन के समस्त विभाग,
अन्वय, गण्डय नगर, मध्यप्रदेश म्बलिय,
समस्त विभागध्यक्ष,
समस्त संभलानुक्रम
समस्त जिलाध्यक्ष
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत,
मध्यप्रदेश

विषय :— बहुरंग सेवा अथवा एक केडर पदों पर प्रतिनियुक्ति के संबंध में परामर्श सिद्धि।

संदर्भ :— सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ. ए. 10 18/84/49/एक, दिनांक 2 12-88 ज्ञापन क्रमांक सी०/3 18/84/3/एक, दिनांक 2 12 1992 एवं ज्ञापन क्रमांक सी०/3 29/5/3/एक, दिनांक 5 जून, 1995

संदर्भित विषयक इस विभाग द्वारा समग्र रूपसे परामर्श के निर्दिष्ट करते हुए विज्ञानुसार एचआरबी आदेश जारी किये जाते हैं :-

- (एक) जब किसी एक विभाग को किसी दूसरे विभाग से शान्दकय सेवक को सेवाएं प्रतिनियुक्ति पर लेना हो तो उसे संबंधित विभाग से कम से कम तीन अधिकाधिक के नामों का सूचक, मध्य गणपीय प्रतिवेदन भूखंडकल पत्रक तथा विभागीय जोच आदेश की नालकरी भंगना करीत।
- (बी) संबंधित विभाग को धारित कि वह यदि अपने लोक सेवक के प्रतिनियुक्ति पर सेवाएं देने का सहमत हो तो उक्त जानकारी गणपीय संबंधित विभाग को उपलब्ध करीत।
- (सी) उक्त सूचक के आधार पर उपयुक्त लोक सेवक के लिये उचित लोक सेवक की सेवाएं काम से काम दो नये के लिए प्रतिनियुक्ति पर लेना जात।
- (डी) विभाग लोक सेवक को सेवाएं प्रतिनियुक्ति पर देने के लिए सहमत हो तो ही सेवाएं लेने वाले विभाग को सहमति पत्रवाल करीत। उक्त ज्ञापन पर संबंधित लोक सेवक को सेवाएं लेने का अधिकार आदेश जारी करना चाहिए, आदेश में यह ध्यान रखना चाहिए कि सेवाएं लेने वाले विभाग के अधिकारिक आदेश शीघ्र जारी करें परस्थान आदेश जारी होने के अनंतर ही शान्दकय सेवक को सेवाएं लेना द्वारा कार्दिकत किया जाये।
- (ई) यदि प्रतिनियुक्ति को अन्वय के भीतर प्रतिनियुक्ति सत्य पर लेना हो तो दोनों विभागों का आपसी परामर्श से प्रतिनियुक्ति सेवाएं को लेनी चाहिए। अनु प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत कामचारी अधिकारी का कार्य संतोपजनक नहीं होने पर सेवा लेने वाले विभाग द्वारा नालकों का उल्लेख करते हुए सत्य पूर्ण सेवाएं ज्ञापन को लेना चाहिए।
- (बी) इसी परामर्श सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक सी०/3 18/84/49/एक, दिनांक 12 12-88 के तदनुसार अनुसार 4 बंद से अधिक के लिए प्रतिनियुक्ति संबंधित बहुरंग सेवा प्रकरणों को सान्दकय से लेने के आदेशकृत नहीं होंगे। जित्त विभाग से अधिकारिक कामचारी प्रतिनियुक्ति पर लेना सेवा विभाग से सेवाएं लेनी होंगे उन दोनों विभागों को लेना लेने पर विभाग स्तर पर ही निर्णय ले लिया जाये। अन्य ऐसे मामलों पर सत्य में लेना जानकर इनका नियमसंग्रह सामान्यता सुनिश्चित किया जाये।
3. प्रतिनियुक्ति के संबंध में उक्त परामर्शीय सिद्धि का बकाई से ज्ञापन लेना जाये।
4. प्रतिनियुक्ति को सेवा करने के संबंध में जित्त विभाग द्वारा ज्ञापन पर लेना निर्देश ज्ञापन होंगे।
5. यदि प्रतिनियुक्ति के लिए शान्दकय विभाग से नालका विभागीय नालकों के लिये सेवाओं के लिए भी ज्ञापन होंगे।

प्रस्ताव :-

(अर्कोला हशमत)

अध्यक्ष,

मध्य प्रदेश शासन,

मन्वान प्रशासन विभाग.